अनुसूची - 18

अ. महत्वपूर्ण लेखानीतियाँ

1. सामान्य

1.1 लागत निर्धारण के परम्परागत तरीकों के अनुसार लेखे तैयार किए गए हैं.

2. आय और व्यय

2.1 आधार पर लेखाबद्ध निम्नलिखित को छोड़कर आय और व्यय को उपचय आधार पर लेखाबद्ध किया गया है.

(i) अनुत्पादक आस्तियों पर ब्याज और 180 दिनों से अधिक समय से बकाया सरकार द्वारा गारंटीकृत अग्रिमों के मामले में ब्याज की पहचान भारतीय रिज़र्व बैंक के मार्गनिर्देशों के अनुसार की गई है.

(ii) ऋण देयताओं की प्राप्ति में विलंब अथवा ऋण की शर्तों का अनुपालन न करने पर प्रभारित दंडात्मक ब्याज के रूप में आय.

(iii) ग्रामीण संवर्धन समूह निधि (आरपीसीएफ), ऋण और वित्तीय सेवा निधि (सीएफएसएफ), कृषि और ग्रामीण उद्यम उद्भवन निधि (एआरआईईएफ) तथा केएफडब्लू-नाबार्ड V आदिवासी कार्यक्रम निधि से दिए गए ऋणों पर सेवा-प्रभार.

(iv) व्यय के एकल शीर्ष के अंतर्गत प्रत्येक स्थान पर खर्च की राशि रु.10,000 से अधिक नहीं है.

2.2 बाँड जारी करने से संबंधित निर्गम व्यय को बाँड जारी करने के वर्ष के खर्च के रूप में समझा गया है.

2.3 रिफंड आर्डर के निर्गम की तारीख के आधार पर आय कर रिफंड पर ब्याज माना गया है.

3. स्थिर परिसम्पत्तियाँ और मूल्य ह्रास

3.1 स्थिर परिसम्पत्तियों को लागत के आधार पर बताया गया है.

3.2 भूमि में पूर्ण स्वामित्व वाली और पट्टाकृत भूमि शामिल हैं.

3.3 परिसर में उस भूमि का मूल्य शामिल है जहाँ अलग-अलग मूल्य तत्काल उपलब्ध नहीं है.

3.4 तुलनपत्र की तारीख को धारित सभी स्थिर आस्तियों पर संपूर्ण वित्तीय वर्ष के लिए मूल्य ह्रास प्रभारित किया गया है भले ही खरीद की तारीख और उसके उपयोग की अवधि कुछ भी क्यों न हो.

3.5 कंप्यूटरों, मोटर वाहनों, कार्यालय उपकरणों, फर्नीचर, इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स आदि पर सीधी रेखा पद्धति के आधार पर मूल्य ह्रास प्रभारित किया गया है. 31 मार्च 1999 को या उससे पहले प्राप्त परिसम्पत्तियों के मामले में 31 मार्च 1999 को उनके मूल्य ह्रास के बाद के मूल्य को, सीधी रेखा पद्धति के अंतर्गत मूल्य ह्रास दरों को लागू करने के लिए, उनकी मूल लागत माना गया है.

3.6 पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि पर स्थित परिसरों पर मूल्य ह्रास को मूल्य-ह्रासित विधि के आधार पर प्रभारित किया गया है.

3.7 पट्टाकृत भूमि पर भुगतान किये गये लीज प्रीमियम का परिशोधन और पट्टाकृत भूमि पर स्थित परिसरों के सम्बन्ध में मूल्यहास की गणना मूल्य ह्रासित पद्धति के अनुसार 5% की अधिक दर पर करके प्रभारित किया गया अथवा सीधी रेखा पद्धति के आधार पर भूमि की शेष लीज अवधि के प्रीमियम/लागत आधिक्य के परिशोधन से ज्ञात राशि के अनुसार किया गया.

4. निवेश

4.1 भारतीय रिज़र्व बैंक के मार्गनिर्देशों के अनुसार निवेश संविभाग वर्गों को आगे तीन श्रेणियों, अर्थात 'परिपक्वता के लिए धारित', 'बिक्री के लिए उपलब्ध' और 'व्यापार के लिए धारित', में वर्गीकृत किया गया है. 'परिपक्वता के लिए धारित' श्रेणी के अन्तर्गत निवेश, कुल निवेश के 25% से अधिक नहीं होते हैं. इस श्रेणी के अंतर्गत निवेश के अंकित मूल्य से अधिक नहीं होने की स्थिति में उन्हें अधिग्रहण-लागत पर लगाया जाता है, ऐसे मामले में अंकित मूल्य पर प्रीमियम, यदि कोई हो, तो उसे परिपक्वता तक की शेष बची अवधि के लिए परिशोधित किया जाता है. 'बिक्री के लिए उपलब्ध' और 'व्यापार के लिए धारित' के अंतर्गत निवेशों को निर्धारित अंतराल पर मार्केट पर मार्क किया जाता है. 'बिक्री के लिए उपलब्ध' के रूप में वर्गीकृत प्रत्येक श्रेणी में निवेशों के लिए केवल निवल मूल्य ह्रास, यदि कोई हो, दिया गया है, जबकि 'व्यापार के लिए धारित' के रूप में वर्गीकृत निवेशों की प्रत्येक श्रेणी में मूल्य ह्रास या मूल्य वृद्धि को मान्य समझा गया है.

4.2 निवेशों को लागत के आधार पर दिखाया जाता है और यदि उनके मूल्य में कोई ह्रास/घटाव हो तो उसके लिए किए गए प्रावधान को चालू देयताओं और प्रावधानों में शामिल किया जाता है.

5. ऋणों और अग्रिमों के लिए प्रावधान

5.1 अग्रिमों को मानक, अव-मानक, संदिग्ध और हानि वाली परिसम्पत्तियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है और उनके लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी मार्गनिर्देशों के अनुसार अपेक्षित प्रावधान किया गया है. इस प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा गारंटीकृत अग्रिमों और राज्य सरकारों को दिए गए अग्रिमों को मानक परिसम्पत्तियां माना गया है. विवेकसम्मत आधार पर मानक परिसम्पत्तियों की कुछ श्रेणियों के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के मार्गनिर्देशों के अंतर्गत निर्धारित प्रावधानों से अधिक के अतिरिक्त प्रावधान किए गए हैं.

6. विदेशी मुद्रा लेन-देन

6.1 तुलन पत्र की तारीख को कारोबार बंद होने के समय की विनिमय दर के आधार पर विदेशी मुद्रा ऋणों की राशि बताई गई है जबकि जोखिम सुरक्षा करार द्वारा समर्थित विदेशी मुद्रा के उधारों को संविदा कीमत पर लिया गया है.

6.2 'विदेशी मुद्रा जोखिम निधि' की स्थापना बैंक के लाभ में से की गई है ताकि "ब्याज विभेदक निधि-विदेशी मुद्रा जोखिम" में उपलब्ध शेष से अधिक की विदेशी मुद्रा की किसी हानि की उससे भरपाई की जा सके.

7. कर्मचारियों को भुगतान और प्रावधान

7.1 बैंक की भविष्य निधि योजना का प्रबंध भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा किया जाता है. इस योजना के अंतर्गत अंशदान का प्रावधान कर उसका भुगतान भारतीय रिज़र्व बैंक को किया जाता है.

7.2 ग्रैच्युटी निधि, बैंक के परिचालनों का एक अभिन्न अंग है और निधि में जमा वार्षिक शेष पर ब्याज का प्रावधान किया जाता है.चालू देयताओं और प्रावधानों में निधि के शेष को दर्शाया गया है.

7.3 उक्त पैरा 7.2, में उल्लिखित ग्रैच्युटी निधि से संबंधित ब्याज के प्रावधान पर विचार करने के बाद बीमांकित मूल्यांकन के आधार पर यथानिर्धारित देयता के अनुरूप ग्रैच्युटी का प्रावधान किया जाता है लेकिन रिज़र्व बैंक से स्थानांतरित होकर आए कर्मचारियों से संबंधित जो राशि रिज़र्व बैंक द्वारा वहन की जानी है, उसकी कटौती नहीं की जाती. तथापि देय ग्रैच्युटी के लिए जैसे-जैसे रिज़र्व बैंक से राशि प्राप्त होती है, वैसे-वैसे उसे हिसाब में लिया जाता है.

7.4 बैंक के कर्मचारियों के लिए पेंशन योजना लागू है. पेंशन का विकल्प लेने वाले कर्मचारियों से संबंधित, बैंक की ओर से भविष्य निधि अंशदान की राशि (जो अब पेंशन निधि का अंश है) का प्रबंध रिज़र्व बैंक द्वारा किया जाता है. पेंशन के लिए प्रावधान रिज़र्व बैंक में उपर्युक्त बकाया को हिसाब में लेने के बाद बीमांकित मूल्यांकन के आधार पर निर्धारित किया जाता है.

7.5 साधारण अवकाश के नकदीकरण के लिए प्रावधान बीमांकित मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है.

8. कर-व्यय, आस्थगित कर-आस्तियों और आस्थगित कर-देयताओं की पहचान

8.1 संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान करने के बारे में धारा 36(1)(vii) और दीर्घावधि वित्तपोषण के कारोबार से होने वाले लाभ के लिए धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत कटौतियों सहित कर विधियों के अंतर्गत मिलने वाली सभी कटौतियों और छूटों को हिसाब में लेने के बाद आयकर खर्चों की गणना की जाती है. चालू कर के लिए प्रावधान कर योग्य आय पर कर की प्रयोज्य दरों के आधार पर किया जाता है. लेखा वर्ष की समाप्ति तक हुए सभी प्रकार के समयांतरों और जिनके आगे की लेखा अवधियों में प्रत्यावर्तित होने की आशा है, के लिए आस्थगित कर आस्तियों और देयताओं की गणना की जाती है. इनकी गणना कर की दरों और पारित कानूनों अथवा बाद में तुलन पत्र की तारीख तक पारित किए जाने वालू कानूनों के आधार पर की जाती है.

आ. लेखा के भाग के रूप में टिप्पणियाँ

1. तावा कमाण्ड क्षेत्र विकास परियोजना करार के अनुसार राष्ट्रीय बैंक को दिए गए ऋणों पर भारत सरकार द्वारा 6.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज प्रभारित किया जाता है, जिसमें से 4.5 प्रतिशत 'विभेदक ब्याज निधि' में लेखाबद्ध किया गया है, जिसका उपयोग कुछ विशेष प्रयोजनों के लिए किया गया है और शेष 2 प्रतिशत का भुगतान भारत सरकार को किया गया है.

2. सीएफएसएफ, आरपीसीएफ, वाटरशेड विकास के लिए केएफडब्ल्यू निधि, सीईसी -बायफ परियोजना के अंतर्गत निधियों, केएफडब्ल्यू नाबार्ड आईजीडब्ल्यूडीपी - आंध्र प्रदेश, नाबार्ड V आदिवासी विशेष विकास कार्यक्रम (गुजरात) और केएफडब्ल्यू नाबार्ड IX आदिवासी विकास कार्यक्रम की अप्रयुक्त शेष राशियों पर वर्ष 2003-04 के लिए 6.00 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज को संबंधित निधियों में जमा किया गया है.

3. कृषि और ग्रामीण ऋण राहत योजना 1990, के अनुसार, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को दिये जाने वाले अनुदान और राज्य सहकारी बैंकों और राज्य भूमि विकास बैंकों के लिए ऋण/ अनुदानों के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक से प्राप्त होने वाली निधियों के संवितरण के लिए बैंक एक चैनल के रूप पर काम कर रहा था.

4. 31 मार्च 2004 की स्थिति के अनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक के पास रखी पेंशन निधि की शेष राशि के विवरणों के अभाव में (महत्वपूर्ण लेखा नीति पैरा 7.4 देखें), धनराशि की अनुमानित आधार पर गणना करते हुए ऐसी आकलित राशि को ध्यान में रखते हुए पेंशन के लिए प्रावधान किया गया है.

5 (क) बैंक द्वारा जारी बॉंडों का प्रबंध भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा किया जाता है, उनके संग्रहण और शोधन का लेखांकन भारतीय रिज़र्व से 30 सितंबर 2003 तक प्राप्त सूचनाओं के आधार पर किया गया है.

(ख) 01 अक्तूबर 2003 से, भारतीय रिज़र्व बैंक ने उक्त बांडों के मोचन और ब्याज अदायगी के प्रयोजन से संबंधित चालू चाते को फ्रीज कर दिया है. इसके पश्चात इन बांडों की सर्विसिंग का कार्य नाबार्ड ने अपने हाथ में ले लिया. ''बांड्स परिपक्व हो गया किंतु दावा नहीं किया गया'' के कारण देय बकाया शेष तथा दावा नहीं किए गए ब्याज को 01 अक्तूबर 2003 से आगे नाबार्ड द्वारा किए गए भुगतानों के बिना दिखाया गया है.

6 (क) वर्ष के दौरान, केएफडब्ल्यू, जर्मनी से 58.80 मिलियन यूरों के उधार और उसके ब्याज को प्रति यूरो रु.50.505 और रु.50.55 के बीच की दर से 10 वर्षों की अवधि के लिए करेंसी एसडब्ल्यूएपी (स्वैप) करार में शामिल कर सुरक्षित कर लिया गया है. फलतः केएफडब्ल्यू की उधारी से संबंधित देयता को सिर्फ संविदा मूल्य के रूप में दर्शाया गया है. वायदा दर और विनिमय दर के बीच के जिस अंतर पर बही में उधारियों का मूल्यांकन किया गया था उसकी राशि रु.15.33 करोड़ थी और उसे ब्याज विभेदक निधि (विदेशी मुद्रा जोखिम) में जमा किया गया है क्योंकि पूर्व के वर्षों में उक्त ऋण के पुनर्मूल्यांकन के कारण विनिमय हानि को संबंधित लेखे में डेबिट किया गया है.

(ख) जोखिम सुरक्षा संविदा को ''तुलनपत्र से पृथक'' मद के रूप में बताया गया है और वह राशि स्वैप करार की संविदा मूल्य का प्रतिनिधित्व करती है. वर्ष के अंत में विनिमय दर पर मूल बकाया देयता की राशि रु.312.51 करोड़ है.

7. संड्री क्रेडिटर्स में सहकारी ऋण ढांचे के पुनरुद्धार की योजना के संबंध में भारत सरकार से प्राप्त रु.100 करोड़ की राशि शामिल है. भारत सरकार से योजना के आवश्यक ब्यौरे / परिचालनगत प्रक्रिया प्राप्त होने तक इस राशि को संड्री क्रेडिटर्स - भारत सरकार से प्रेषण में रखा गया है.

(क) आईसीएआई के लेखा मानक 13 और विवेक के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए कृषि विकास वित्त कंपनियों के शेयरों में निवेश को ''परिपक्वता हेतु धारित'' की श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है और निवेशकर्ताओं के शेयरों के ब्रेक-अप मूल्य के आधार पर रु.65 लाख के मूल्यह्रास का प्रावधान किया गया है.

(ख) श्रेणी-वार तरीके से मूल्य में मूल्यह्रास की पहचान करने के लिए वर्ष की समाप्ति पर एएफएस निवेश के मूल्य को मार्केट के लिए चिह्नित कर दिया गया है. दूसरी ओर, व्यापार के लिए रखे गए निवेश में मूल्यह्रास अथवा उसके मूल्य में वृद्धि को मासिक आधार पर बही में दर्ज किया गया है.

8. आयकर के लिए प्रावधान

कर आस्तियों और देयताओं के मुख्य घटक निम्नानुसार हैं :

9. विभिन्न राज्य भूमि विकास बैंकों/भूमि बंधक बैंकों द्वारा जारी किए गए डिबेंचरों में अभिदान के रूप में बैंक ने भुगतान किए और इन्हें "अग्रिम-अन्य-निवेश-ऋण - मध्यावधि - और दीर्घावधि परियोजना ऋण" के अंतर्गत शामिल किया गया है. आबंटन पत्रों / डिबेंचर रसीदों के मूल्य की राशि जो अभी प्राप्त होनी है, वह उक्त तारीख को रु.219.85 करोड़ (रु.711.40 करोड़) है.

10 (क) ''भूमि और परिसर'' के अंतर्गत विभिन्न स्थानों पर कार्यालय परिसरों और स्टाफ क्वार्टरों के लिए रु.46.96 करोड़ (रु.40.13 करोड़) की कुल राशि का भुगतान शामिल है जिनके संबंध में कतिपय प्रक्रियागत विलंब के कारण अभी तक राष्ट्रीय बैंक के पक्ष में स्वामित्व हस्तांतरण विलेख / अन्य कानूनी दस्तावेज निष्पादित नहीं किए गए है.

(ख) रु.24.99 करोड़ (रु.18.37 करोड़) लागत की ''भूमि और परिसर'' के संबंध में विक्रेताओं के साथ कानूनी विवादों का निपटारा न होने के कारण उनका स्वामित्व हस्तांतरण अभी लंबित है.

11. अध्ययन और प्रशिक्षण व्यय में शामिल रु.2.59 करोड़ (रु.3.165 करोड़) क्षेत्रीय प्रशिक्षण महाविद्यालय, बोलपुर और मंगलूर के स्थापना व्ययों और परिचालन व्ययों से संबंधित हैं जोकि वाणिज्य बैंकों, सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कर्मचारियों को प्रशिक्षण देते हैं.

12. अधिकारियों के निवास की फर्निशिंग के लिए अग्रिम (एफआरएसओ) पर वर्ष के दौरान वसूल की गई रु.1.686 करोड़ की राशि (जिसमें 31 मार्च 2003 तक वसूल रु.1.426 करोड़ और वर्ष 2003-04 के दौरान वसूल रु.0.26 करोड़ शामिल हैं), को आय के रूप में समझा गया और उसे लाभ और हानि खाते में जमा किया गया है; इसे अब तक संड्री क्रेडिटर्स खाते में जमा किया जाता था और उसे तुलन पत्र में देयता के रूप में दर्शाया जाता था.

(रु.करोड़)

क्रम सं	आस्थगित कर आस्तियों के कारण	01 अप्रैल 2003 की स्थिति	वर्ष के दौरान डेबिट/ क्रेडिट	31 मार्च 2004 की स्थिति
i	बही में दर्ज सेवानिवृत्ति लाभो के लिए प्रावधान किंतु अदायगी के आधार पर कर प्रयोजन के लिए अनुमतियोग्य	85.00	38.46	123.46
ii	स्थिर आस्तियों पर मूल्य-ह्रास	32.00	-2.06	29.94
	योग	**117.00**	**36.40**	**153.40**

13. लाभ-हानि खाते में शामिल की गईं पहले की अवधि की मदें निम्नानुसार हैं :

(रु.करोड़)

क्रम सं.	विवरण	2003-04	2002-03
1	मूल्य ह्रास	1.87	2.95
2	अन्य प्राप्तियाँ	1.43	0.11
3	अन्य व्यय	-	0.72

14. 31 मार्च 2004 को बैंक का पूंजी पर्याप्तता अनुपात, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित न्यूनतम 9 प्रतिशत के मुकाबले 39.41 प्रतिशत था.

15. तुलन पत्र और लाभ हानि खाते में राशियों को निकटतम पूर्णांकित रुपये में दर्शाया गया है.

16. कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष से संबंधित हैं.

17. भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र (दिनांक 10 जुलाई 2003 का संसं.डीबीएस. एफआईडी. सी-2/01.02.00/2003-04) के अनुसरण में निम्नलिखित अतिरिक्त सूचना दी गई है :-

I. पूंजी

(क) कैपिटल टू रिस्क - वेटेड एसेट रेशियो (सी आर ए आर)

(प्रतिशत)

विवरण	31 मार्च 2003	31 मार्च 2002
सी आर ए आर	39.41	39.05
कोर सी आर ए आर	37.77	37.80
अनुपूरक सी आर ए आर	1.64	1.25

(ख)

(रु.करोड़)

विवरण	31 मार्च 2004	31 मार्च 2003
ली गई और बकाया सबॉर्डिनेटेड ऋण राशी	शून्य	शून्य

(ग) रिस्क वेटेड एसेट

(रु.करोड़)

विवरण	31 मार्च 2004	31 मार्च 2003
ऑन - बैलेंस शीट मदें	19087.02	16521.72
ऑफ - बैलेंस शीट मदें	77.92	77.86

(घ) तुलन पत्र की तारीख को पूंजी अंशदान की पद्धति

(रु.करोड़)

अभिदाता	31 मार्च 2004	31 मार्च 2003
भारतीय रिज़र्व बैंक	1,450	1,450
भारत सरकार	550	550
जोड़	**2,000**	**2,000**

II. आस्तियों की गुणवत्ता और ऋण सघनता (स्टाफ अग्रिमों को छोड़कर)

ङ.

विवरण	31 मार्च 2004	31 मार्च 2003
शुद्ध ऋणों और अग्रिमों से शुद्ध अनुत्पादक आस्तियों का प्रतिशत	0.0014%	0.0017%

(च) आस्तियों का वर्गीकरण

वर्गीकरण	2003-04		2002-03	
	रु. करोड़	प्रतिशत	रु.करोड़	प्रतिशत
मानक	48,789.46	99.99836	45,359.80	99.9965
उप-मानक	0.78	0.00160	0.85	0.00188
संदिग्ध	0.02	0.00004	0.11	0.00024
हानि	0.00	0.00000	0.65	0.00143
जोड़	**48790.26**	**100.00**	**45361.41**	**100.00**

(छ) वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान :

(रु.करोड़)

निम्नलिखित के लिए	2003-04	2002-03
मानक आस्तियाँ	51.36	45.98
अनुत्पादक अग्रिम	0.27*	-0.02
निवेश	0.65	0.00
आयकर	375.00	390.00
जोड़	**427.28**	**435.96**

** स्टाफ के अग्रिम के समक्ष रु.0.26 करोड़ का एनपीए प्रावधान शामिल है.*

(ज) **अनुत्पादक आस्तियों में परिवर्तन :**

(रु.करोड़)

विवरण	2003-04	2002-03
वर्ष के प्रारंभ में अनुत्पादक आस्तियाँ	1.61	0.93
जोड़ें : वर्ष के दौरान वृद्धि	0.01	0.84
उप-जोड़	1.62	1.77
घटाएं : वर्ष के दौरान आई कमी	0.82	0.16
वर्ष की समाप्ति पर अनुत्पादक आस्तियाँ	0.80	1.61

(झ) **ऋण एक्स्पोजर की पूँजी निधियों से प्रतिशतता और कुल आस्तियों से प्रतिशतता :**

		2003-04		2002-03	
		ऋण एक्स्पोजर की प्रतिशतता		ऋण एक्स्पोजर की प्रतिशतता	
क्रम सं	वर्ग	पूँजी निधियों से	कुल आस्तियों से	पूँजी आस्तियों से	कुल आस्तियों से
I	सबसे बड़ा एकल ऋणकर्ता	41.60	5.43	52.48	6.59
II	सबसे बड़ा ऋणकर्ता समूह	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
III	दस सबसे बड़े एकल ऋणकर्ता				
1	उ.प्र राज्य भूमि विकास बैंक	41.60	5.43	49.22	6.18
2	आंध्रप्रदेश सहकारी बैंक	39.43	5.14	52.48	6.59
3	आई सी आई सी आई बैंक	26.86	3.50	8.87	1.11
4	पंजाब राज्य सहकारी बैंक	25.03	3.26	14.33	1.80
5	हरियाणा रा.भू.वि.बैंक	22.33	2.91	25.28	3.18
6	पंजाब रा.भू.वि. बैंक	21.58	2.81	24.30	3.05
7	आंध्रप्रदेश राज्य सरकार	20.16	2.63	30.04	3.77
8	मध्यप्रदेश राज्य सरकार	18.88	2.46	17.41	2.19
9	उत्तरप्रदेश राज्य सरकार	18.73	2.44	24.20	3.04
10	तमिलनाडु राज्य सरकार	17.93	2.34	19.69	2.47
IV	दस सबसे बड़े ऋणकर्ता समूह	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

(ञ) **कुल ऋण आस्तियों से पाँच सबसे बड़े उद्योग समूहों को ऋण एक्स्पोजर की प्रतिशतता - लागू नहीं .**

III. तरलता

(i) **रुपयों में आस्तियों और देयताओं का परिपक्वता स्वरूप :**

(ii) **विदेशी मुद्रा में आस्तियों और देयताओं का स्वरूप :**

(रु.करोड़)

मद	1 वर्ष से कम अथवा उसके बराबर	1 वर्ष से अधिक 3 वर्ष तक	3 वर्ष से अधिक 5 वर्ष तक	5 वर्ष से अधिक 7 वर्ष तक	7 वर्ष से अधिक	जोड़#
आस्तियाँ रुपए में	17259.75	15642.84	11200.86	6394.96	5189.55	55687.96
आस्तियाँ विदेशी मुद्रा में	0	0	0	0	0	0
कुल आस्तियाँ	17259.75	15642.84	11200.86	6394.96	5189.55	55687.96
देयताएं रुपए में	9818.80	9044.94	9328.91	3147.39	24050.91	55390.95
देयताएं विदेशी मुद्रा में	0.00	2.58	11.62	19.70	263.11	297.01
कुल देयताएं	**9818.80**	**9047.52**	**9340.53**	**3167.09**	**24314.02**	**55687.96**

भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुदेशों के अनुसार मानक आस्तियों के लिए प्रावधान तथा साथ ही निवेश के मूल्य में मूल्यह्रास के समक्ष प्रावधान, जिन्हें तुलनपत्र में देयताओं के रूप में दर्शाया गया है, को उक्त तालिका में आस्तियों से घटाया गया है.

IV. परिचालन परिणाम :

क्रम सं.	विवरण	31 मार्च 2004 की स्थिति	31 मार्च 2003 की स्थिति
1	प्राप्त ब्याज आय का कार्यशील निधियों से प्रतिशत	8.02	8.45
2	गैर-ब्याज आय का कार्यशील निधियों से प्रतिशत	0.11	0.10
3	परिचालन लाभ का कार्यशील निधियों से प्रतिशत	3.61	3.96
4	आस्तियों पर आय (प्रतिशत)	2.78	3.22
5	प्रति कर्मचारी लाभ (रु.करोड़)	0.28	0.29

V. प्रावधानों में परिवर्तन

(क) अनुत्पादक आस्तियों के लिए प्रावधान

(रु.करोड़)

क्रम सं.		विवरण	2003-04	2002-03
i)		वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में प्रारंभिक शेष	0.86	0.89
	जोड़ें	वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	0.01	0.11
	घटाएं	बेशी प्रावधानों को बट्टे खाते डालना, वापस लेना	0.77	0.14
ii)		वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर अंत शेष	0.10	0.86

(ख) निवेशों में ह्रास हेतु प्रावधान

(रु.करोड़)

क्रम सं.		विवरण	2003-04
1		वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में प्रारंभिक शेष	शून्य
2	जोड़ें		
	i)	वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	0.65
	ii)	वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर अंत शेष	शून्य
3		उप जोड़ (1+2(i)+2(ii))	0.65
4	घटाएं		
	i)	वर्ष के दौरान अपलिखित	शून्य
	ii)	निवेश उतार-चढ़ाव, प्रारक्षण खाते को अंतरण, यदि कोई हो	शून्य
5		वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर अंतिम शेष (3-4(i)-4(ii))	0.65

VI. पुनर्गठित लेखे

वर्ष के दौरान किसी भी ऋण का पुनर्गठन नहीं हुआ है.

VII. वायदा दर करार और ब्याज दर स्वैप

जैसा कि दिनांक 07 जुलाई 1999 के भा.रि.बैंक के परिपत्र सं.एमपीडी.बीसी.187/07.01.279/1999-2000 द्वारा अनुमति दी गई है, वर्ष के दौरान कोई भी वायदा दर करार/ब्याज दर स्वैप नहीं किया गया.

VIII. ब्याज दर डिरायवेटिव्स

वर्ष के दौरान कोई भी ब्याज दर डिरायवेटिव्स लेन-देन नहीं किया गया.

IX. संबंधित पक्षों के साथ लेन-देन

(रु.करोड़)

पार्टी का नाम	संबंध की प्रकृति	लेन-देन की प्रकृति	वर्ष के दौरान लेन-देन की राशि	बकाया राशि
भारतीय रिज़र्व बैंक	नाबार्ड की पूंजी में 72.50% स्वामित्व	उधार (चुकौती को छोड़कर)	(1598.48)	4193.60
		उधार पर ब्याज	148.31	
		नाबार्ड द्वारा अनुरक्षित राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण निधियों में प्राप्त अंशदान	2.00	
		बांडों का रखरखाव शुल्क	0.06	
भारत सरकार	नाबार्ड की पूंजी में 27.50% स्वामित्व	उधार (चुकौती को छोड़कर)	(26.06)	565.19
		उधार पर ब्याज	41.58	21.01
		गारंटी शुल्क	5.41	
एडीएफटी, चेन्नै	नियंत्रण - नाबार्ड द्वारा धारित शेयर पूंजी 52.10%	ऋण (चुकौती को छोड़कर)	0.00	0.00
		ऋण पर ब्याज	0.00	0.00
एबीएफएल, हैदराबाद	नियंत्रण - नाबार्ड द्वारा धारित शेयर पूंजी 47.82%	ऋण (चुकौती को छोड़कर)	(0.89)	1.36
		ऋण पर ब्याज	0.17	0.02
केएडीएफसी, बंगलूर	नियंत्रण - नाबार्ड द्वारा धारित शेयर पूंजी 82.41%	कोई लेन-देन नहीं	0.00	0.00
नाबार्ड कन्सल्टेन्सी सर्विसेज प्रा.लि.	संपूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी	नाबार्ड द्वारा खर्च की गई राशि	0.57	0.38
श्री योगेश नंदा	प्रमुख प्रबंध कार्मिक - 30 जून 2003 तक अध्यक्ष	अनुलाभों सहित पारिश्रमिक	0.012	
श्रीमती रंजना कुमार	प्रमुख प्रबंध कार्मिक - 21 नवंबर 2003 से अध्यक्ष	अनुलाभों सहित पारिश्रमिक	0.023	
श्री वाई.एस.पी. थोरात	प्रमुख प्रबंध कार्मिक - 17 मार्च 2004 से प्रबंध निदेशक	अनुलाभों सहित पारिश्रमिक	0.002	

X. व्यवसाय खंडों के संबंध में सूचना

क) संक्षिप्त पृष्ठभूमि :

बैंक के मान्यता प्राप्त प्राथमिक व्यवसाय खंड निम्नवत् हैं :

i) सीधा वित्तपोषण : ग्रामीण आधारभूत सुविधा विकास हेतु राज्य सरकारों को दिया गया ऋण और स्वैच्छिक एजेन्सियों/गैर-सरकारी संगठनों को विकासात्मक गतिविधियों के लिए दिया गया ऋण इस खंड में शामिल है.

ii) पुनर्वित्त : राज्य सरकारों, वाणिज्य बैंकों, भूमि विकास बैंकों, राज्य सहकारी बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों इत्यादि को उनके द्वारा अंतिम उधारकर्ताओं को वितरित ऋणों हेतु पुनर्वित्त के रूप में प्रदत्त ऋण और अग्रिम.

iii) ट्रेज़री : कॉल मनी, ट्रेज़री बिल्स, अल्पावधि जमाराशियों, सरकारी प्रतिभूतियों इत्यादि के अंतर्गत निधियों का निवेश.

iv) अनाबंटित : इस खंड में स्टाफ को दिए गए ऋणों और अन्य विविध प्राप्तियों से आय और बैंक की विकासात्मक भूमिका के

लिए किए गए व्यय और सामान्य प्रशासनिक व्ययों को शामिल किया गया है.

भौगोलिक चयनित द्वितीयक व्यवसाय खंड के तहत निम्नलिखित राज्यों में कारोबार भी शामिल है.

i) दक्षिणी अंचल : कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और क्षेत्रीय प्रशिक्षण महाविद्यालय, मंगलूर.

ii) पूर्वी अंचल : त्रिपुरा, मिज़ोरम, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, क्षेत्रीय प्रशिक्षण महाविद्यालय, बोलपुर, नागालैंड, सिक्किम, असम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय.

iii) उत्तरी अंचल : मध्य प्रदेश, हरियाणा और पंजाब, बिहार, नई दिल्ली, झारखंड, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राष्ट्रीय बैंक स्टाफ महाविद्यालय, लखनऊ, जम्मू और कश्मीर, राजस्थान और उत्तरांचल.

iv) पश्चिमी अंचल : गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र और प्रधान कार्यालय, मुंबई.

ख) प्राथमिक व्यवसाय खंड के संबंध में सूचना

(रु.करोड़)

क्रम सं.	खंड	बाहरी ग्राहकों से खंड राजस्व	खंड परिणाम	खंड आस्ति	खंड देयताएं
1	सीधा वित्त	1,510.93	201.95	14,147.46	12,828.18
2	पुनर्वित्त	2,427.75	1,232.90	35,660.19	#20,492.95
3	ट्रेजरी	309.40	306.58	2,487.74	0.00
4	अनाबंटित	19.19	-281.00	3,593.21	505.92
	जोड़	**4,267.27**	**1,460.43**	**55,888.60**	**33,827.05**

 # जहां बाहरी देनदारियां नहीं हैं, वहां राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (दीर्घावधि परिचालन) और राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (स्थिरीकरण) निधियों का शेष भी सम्मिलित हैं.

ग) द्वितीयक व्यवसाय खंड के संबंध में सूचना

(रु.करोड़)

क्रम सं.	भौगोलिक खंड	बाहरी ग्राहकों से प्राप्त खंड राजस्व	खंड आस्तियां
1	पूर्वी अंचल	440.35	5,606.69
2	उत्तरी अंचल	1,739.75	23,031.99
3	दक्षिणी अंचल	1,241.08	15,552.60
4	पश्चिमी अंचल	846.09	11,697.32
	जोड़	**4,267.27**	**55,888.60**

18. जहां भी आवश्यकता हुई है, वहां पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुनः वर्गीकृत और पुनःव्यवस्थित किया गया है.

कृते गुप्ता शर्मा एण्ड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार

पी.एस.एस.आर. सर्मा
मुख्य महाप्रबंधक
वित्त और लेखा विभाग
नई दिल्ली, 12 जून 2004

अशोक गुप्ता
साझेदार
सदस्यता सं.17244
नई दिल्ली, 12 जून 2004

रंजना कुमार	वाई.एस.पी.थोरात	एन.एस.सिसोदिया	के.जे.उदेशी
अध्यक्ष	प्रबंध निदेशक	निदेशक	निदेशक

नई दिल्ली, 12 जून 2004